

I/419516/2023

संख्या- 23 /2023/2296 /003-9-7099-149-2023

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,

संयुक्त सचिव,

उशासन। .प्र.

सेवा में,

जिलाधिकारी,

गोरखपुर, लखनऊ, फिरोजाबाद, सिद्धार्थनगर, फतेहपुर, बौदा, बुलन्दशहर एवं

फर्रुखाबाद।

**नगर विकास अनुभाग-7****लखनऊ दिनांक : 01 नवम्बर, 2023**

**विषय वित्तीय वर्ष:-2023- 24 में शहरी क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थल विकास योजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों में अन्त्येष्टि स्थलों के निर्माण के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त के विषयगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में "शहरी क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थल विकास योजना" के अन्तर्गत नगरीय निकायों से प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में अनुदान संख्या 37 में प्राविधानित धनराशि में से नगर पंचायत, बड़हलगंज जनपद गोरखपुर, नगर पंचायत , इटौंजा जनपद लखनऊ, नगर पंचायत, एका जनपद फिरोजाबाद, नगर पंचायत, शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर, नगर पंचायत, धाता जनपद फतेहपुर, नगर पंचायत, मटौंध जनपद बौदा, नगर पंचायत, बुगरासी जनपद बुलन्दशहर एवं नगर पालिका परिषद, कायमगंज जनपद फर्रुखाबाद में स्थित अन्त्येष्टि स्थलों के निर्माण/विकास हेतु प्रस्तावित कार्यों की कुल लागत ₹244.15 लाख (दो करोड़ चौवालीस लाख पन्द्रह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त की कुल धनराशि ₹ 122.075 लाख (रुपये एक करोड़ बाईस लाख सात हजार पांच सौ मात्र) अवमुक्त किये जाने पर मा.राज्यपाल महोदया निम्नलिखित विवरण/ शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र.सं.	जनपद का नाम	नगर निकाय का नाम	प्रस्तावित कार्य	प्राप्त आगणन में लागत	यथा प्रस्तावित /मानकीकरण के पश्चात अनुमन्य धनराशि लागत	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	गोरखपुर	नगर पंचायत	अन्त्येष्टि स्थल	28.79	28.79	14.395

I/419516/2023

		बड़हलगंज।	निर्माण कार्य।			
2	लखनऊ	नगर पंचायत , इटौंजा।	अन्त्येष्टि स्थल निर्माण कार्य।	28.79	28.79	14.395
3	फिरोजाबाद	नगर पंचायत , एका।	अन्त्येष्टि स्थल निर्माण कार्य।	28.79	28.79	14.395
4	सिद्धार्थनगर	नगर पंचायत , शोहरतगढ़।	अन्त्येष्टि स्थल निर्माण कार्य।	28.79	28.79	14.395
5	फतेहपुर	नगर पंचायत , धाता।	अन्त्येष्टि स्थल निर्माण कार्य।	31.72	28.79	14.395
6	बाँदा	नगर पंचायत , मटौंध	अन्त्येष्टि स्थल निर्माण कार्य।	28.79	28.79	14.395
7	बुलन्दशहर	नगर पंचायत, बुगरासी	अन्त्येष्टि स्थल निर्माण कार्य।	29.00	28.79	14.395
8	फर्रुखाबाद	नगर पालिका परिषद, कायमगंज	अन्त्येष्टि स्थल निर्माण कार्य।	42.66	42.62	21.31
		<b>कुल योग</b>		<b>247.33</b>	<b>244.15</b>	<b>122.075</b>

( रुपये एक करोड़ बाईस लाख सात हजार पांच सौ मात्र )

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1)स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारीसक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्तारक्षरित किया जायेगा/, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारीकोषाधिकारी द्वारा निकाय के खातों में सीधे जमा किया जायेगा। उक्त के / पी /डाकघर/बैंक/अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य0एल0ए0/डिपॉजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(2)योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-5251/नौ-5-2014-329सा0/2014, दिनांक 09.09.2014 एवं संबंधित शासनादेश दिनांक 05.01.2015, दिनांक 12.06.2015 द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का अनुपालन कराया जायेगा। स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में शासनादेश संख्या-2333(1)/नौ-7-18-35(ज)/(2018, दिनांक 21.01.2019 द्वारा निर्धारित माडल आगणन के अनुसार कार्य पर व्यय की जायेगी। नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में अन्त्येष्टि स्थल के निर्माण हेतु क्रमशः ₹42.62 लाख व ₹28.79 लाख की प्रारम्भिक आगणनमाडल को / माडल मानक के रूप में निर्धारित किया गया है, जो कि नगर विकास विभाग की वेब साईट-urbandevelopment.up.nic.in पर उपलब्ध है।

4/19516/2023

(3) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय 12 के प्रस्तर 318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(4) जिलाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ कराया जाये। कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि भूमि निर्विवादित है। कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त भूमि के विवादित पाये जाने तथा कार्य कराये जाने पर व्यय धनराशि को शासकीय धनराशि का अपव्यय मानते हुए उसकी वसूली संबंधित नगर निकाय से कराकर राजकोष में जमा करायी जायेगी।

(5) सामग्रीसम्पूर्ति का क्रय वित्त विभाग के क्रयादेशों के अनुसार किया जाये। यथावश्यक / रेट कान्ट/सामग्री की पूर्ति टेण्डरिरेक्टडी/0जी0एस0एण्ड डी0 की दरों पर ही किया जाय। कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।

(6) नगर पंचायतनगर पालिका परिषद के अधि/शासी अधिकारी द्वारा संबंधित जिलाधिकारी के माध्यम से धनराशि रू0 25.00 लाख तक के कार्यों का third party inspection (गुणवत्ता निरीक्षणपी (0डब्ल्यू0डी0/आर0ई0एस0 के अवर अभियन्ता स्तर से तथा धनराशि रू0 25.00 लाख के अधिक के कार्यों का third party inspection (गुणवत्ता निरीक्षणपी (0डब्ल्यू0डी0/आर0ई0एस0 के सहायक अभियन्ता स्तर से कराया जायेगा तथा गुणवत्ता संतोषजनक होने पर ही अधिशासी अधिकारी द्वारा भुगतान किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानोंसमय पर -समय/ शासन द्वारा निर्गतशासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्यमद में स्वीकृत की जा रही/, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्यउपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। /मद में किया जाये। सामग्री/ कार्य की मदों में परिवर्तन किया जाना अनुमन्य नहीं होगा।

(9) स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओंकार्यक्रमों में / पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्यस्रोतों से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

I/419516/2023

(10)लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(11)निकाय द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(12)कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्प्ले बोर्ड पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने की सम्भावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(13)व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र-गठित किये गये आगणन में उल्लिखित कार्यों के सापेक्ष कार्यवार विवरण शासन तथा महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज को दिनांक 31.03.2024 तक भेजा जाना अनिवार्य होगा।

(14)प्रस्तावित कार्य पूर्ण होने पर सम्प्रीक्षित लेखे अवश्य प्रस्तुत किये जायें।

(15)वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक /मुख्य वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,22,07,500 (रुपये एक करोड़ बाईस लाख सात हजार पांच सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आयव्ययक मे- **अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2235608000300** शहरी क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास **मानक मद 35** पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त -अनुभाग (व्ययक-आय)1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक -17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

Signed by कल्याण बनर्जी

Date: 02-11-2023 11:23:23

Reason: Approved

(कल्याण बनर्जी)

संयुक्त सचिव ।

419519/2023

संख्या- 23 /2023/ 2296(1) /003-9-7099-149-2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. कोषाधिकारी, गोरखपुर, लखनऊ, फिरोजाबाद, सिद्धार्थनगर, फतेहपुर, बाँदा, बुलन्दशहर एवं फर्रुखाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र० लखनऊ।
4. निदेशक, स्थानीय निधि, लेखापरीक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज।
5. महापौरअध्यक्ष/, संबंधित नगर निकाय।
6. संबंधित अधिशासी अधिकारी, उ।प्र.
7. वित्त (नियंत्रण-व्यय), अनुभाग-9, उ०प्र० शासन।
8. गार्ड फाइलसुपर यूजर/कम्प्यूटर सेल/, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।

आज्ञा से  
Signed by कल्याण बनर्जी  
Date: 02-11-2023 11:24:59  
Reason: Approved  
(कल्याण बनर्जी)  
संयुक्त सचिव ।

## Allotment Grid Report


वित्तीय वर्ष:-2023-2024  
आवंटन दिनांक-02/11/2023

प्रेषण संख्या:- 23  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-23-2023-2296-003-9-7099-149-2023  
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण(आयोजनेत्तर-मतदेय)  
60 - अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम  
800 - अन्य व्यय  
03 - शहरी क्षेत्रों में अल्पेष्टि स्थलों का विकास

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	बुलन्दशहर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1439500 1439500	1439500 1439500
2	फरुखाबाद-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2131000 2131000	2131000 2131000
3	फतेहपुर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1439500 1439500	1439500 1439500
4	बांदा -4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1439500 2879000	1439500 2879000
5	गोरखपुर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1439500 1439500	1439500 1439500
6	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1439500 1439500	1439500 1439500
7	सिद्धार्थनगर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1439500 4318500	1439500 4318500
8	फिरोजाबाद-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1439500 2879000	1439500 2879000
	<b>योग</b>	वर्तमान प्रगामी	12207500 17965500	12207500 17965500

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ बाइस लाख सात हजार पाँच सौ  
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ उन्नासी लाख पैसठ हजार पाँच सौ

  
(कल्याण बनर्जी)  
संयुक्त सचिव